






न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलज जज                      वनाम                      मु. सं.</p>
<p>21.03.25</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील                      प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्तु तलबी                      दिनांक 28.03.2025 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      महवा (दौसा)</p>
<p>28.03.25</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील                      प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्तु तलबी                      दिनांक 21.04.2025 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      महवा (दौसा)</p>
<p>21.04.25</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील                      प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्तु तलबी                      दिनांक 16.05.2025 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      महवा (दौसा)</p>
<p>16.05.25</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील                      प्रार्थी उपस्थित। वास्तु तलबी                      दिनांक 16.06.2025 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      महवा (दौसा)</p>
<p>16.06.25</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई वकील                      प्रार्थी उपस्थित। शरण का मूल दावा खिची किम                      जा मुब्न है इजलासि अल्वाइ निषेधाज शरण                      को चलाने का जेरे आम्बिल नहीं है।                      अतः शरण अल्वाइ निषेधाज                      स्वीकृत किम जाता है। पत्रावली फिलहाल मुद्दा                      होकर मूल वाद चलाने रहे।</p> <p style="text-align: right;">                     आदेश सुनाया गया।   </p>